F-07-08
F-07-11

सेना उड्डयनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1356 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment - cum Renewal of Type Approval No.: 1356

विषय / Sub: फ्यूल कंटेंट गेजिंग रियर मेन टैंक (आर एम टी) प्रोब, पार्ट सं. 236400000/
"Fuel Content Gauging Rear Main Tank (RMT) Probe", Part No: 236400000

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएसईआरडीसी, लखनऊ – 226 016,** द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा **मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीस प्रभाग, लखनऊ – 226 016** द्वारा उत्पादित **"फ्यूल कंटेंट गेजिंग रियर मेन टैंक (आर एम टी) प्रोब", पार्ट सं. 236400000** को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1356, दिनांक 15 सितंबर 2008 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1356 जारी किया गया था। यह अनुमोदन तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1356-1आर, दिनांक 20 फरवरी 2014 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

*This is to state that the **"Fuel Content Gauging Rear Main Tank (RMT) Probe"** bearing the Part No. 236400000, designed & developed by **M/s Hindustan Aeronautics Limited, ASERDC, Lucknow – 226 016** and manufactured by **M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016,** was issued with Type Approval No.: 1356, vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1356, dated: 15th September 2008. This approval was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1356-1R, dated: 20th February 2014 with validity up to 31st December 2018.*

2. आर सी एम ए (लखनऊ) की सिफारिशों के अनुसार संदर्भ सं. आर सी एम ए(लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 05 नवंबर 2018 द्वारा, उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1356 में निम्नलिखित संशोधन लागू होता है। प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1356, दिनांक 15 सितंबर 2008 के परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ सं. 2 के 1 में, तालिका 1 की अंतिम पंक्ति में (अस्थायी मंजूरी सं. के बाद) जोड़िए।

The following Amendment is effected based on the request from RCMA (Lko) vide their letter Ref. No.: RCMA (Lko)/341/3/Tech/4, dated: 05th November 2018, in the subject Type Approval Number: 1356. In Page 1 of 2 Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA-1356, dated: 15th September 2008, add the following in the last row of the Table No. 1 (after Provisional Clearance Number):

ACBS No.:	***236400000-264, Issue - '2K', Dated: 07/08/2018***

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2019** से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसम्बर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (लखनऊ),** लखनऊ – 226 016 से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st January 2019** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st December 2023** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Lko)**, Lucknow – 226 016, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1356, दिनांक 15 सितंबर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1356, दिनांक 15 सितंबर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1356, dated: 15th September 2008 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC)**,Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".*

5. प्रारंभिक वर्गअनुमोदनप्रमाणपत्रमेंअनुबद्धअन्यसभीशर्तेंवहीरहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./**No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1356/2R**
दिनांक/**Date 31 December 2018**
फैक्स सं./**Fax No: 080-25230856**

पी . जयपाल/ **P. JAYAPAL**
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)